

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झाँड़ुन

दूरभाष एवं फैक्सनम्बर- 01592 - 235475/235474 E-mail Id.: deopela@jn@gmail.com
फैक्स-जिली/प्रार./झु./मान्यता/2012/
प्रबन्धक

दिनांक- 30.10.11

४५८
सीरीजिटा भविदर,
पिलानी

विषय- नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रधानाजन के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया

19.10.11

आपके दिनांक २३ फरवरी 2011 के आवेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चात्यावती (Eng. पाठ्यावती) को दिनांक २३ फरवरी से दिनांक ३१ अक्टूबर २०११ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा १ से कक्षा ८ तक के लिए अनियम मान्यता प्रदान करने की संस्थाना देता है। उपरोक्त स्वीकृति निष्पालिखित गतीय को पूरा किए जाने के अध्याधीन है-

१. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता/संवधान के लिए कोई बाध्यता विधिविहित नहीं है।
२. विगतष्ट नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्यक्ष 1) और नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाध्यक्ष 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
३. विगतष्ट कठाना गे उस कक्षा के बालकों की सरक्षा के २५ प्रतिशत तक अस-एस-एस के कमज़ोर दर्दों और अन्यथा शर्द रामुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उसे नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसके पूरे ही जाने तक उपलब्ध करायेगा।
४. पैरा ३ से निर्दिष्ट बालकों के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
५. सोसायटी/विधालय किसी कंपनीटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके भाता पिता या सरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
६. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म रक्षान् धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें दिसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती घाटा गया है।
७. किंगमा सुनिश्चित करेगा कि—
 - (i) ग्रेड दिये गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुस्तीण नहीं किया जाएगा। या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालकों शारीरिक टण्ड या मानसिक उत्पीड़न की अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने दी अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकाधित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निश्चितता एस्स/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकाधित न्यूनतम अहंताओं के साथ भी जाती है यरन्तु और यह कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंताएं नहीं हैं। पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अधिक होती हैं।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कार्तव्यों का पालन करता है।
 - (viii) अध्यापक रद्द या किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेगा।

४५८